

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 203/18

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019

निर्णय दिनांक : 18.03.2019

राजस्थान सरकार

बनाम

कुम्भाराम पुत्र कानाराम

जाति बागरिया नि0 पांचवा

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कुम्भाराम पुत्र कानाराम जाति बागरिया निवासी पांचवा ने ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 272 कुल रकबा 76.44 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रति अप्रार्थी स्वयं ने प्राप्त की। अप्रार्थी उपस्थित हुआ तथा कोई जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब एवं कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना -पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर गै. मु. गौचर भूमि पर अतिक्रमण किया है।


अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 272 कुल रकबा 76.44 हैक्टेयर गै. मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.05 का पच्चास गुणा से राशि 03/- अक्षरे तीन रूपये जुर्माना




आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(तराले कुचामन सिटी)
तहसीलदार, कुचामन सिटी
जिला नागौर - राज0

माँग कायमी रा.ले.स.-4
कि पृष्ठ संख्या 21
वर्ष 2018-19
रा.जुर्माना —
क.निलामी —
गोचर जुर्माना 03
प्रा.पैदावार —


तराले कुचामन सिटी